

पत्र सं० वि०(27)पें०को०-167/2006

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

प्रेषक,

अरुनीश चावला,  
सचिव (व्यय),  
वित्त विभाग ।

सेवा में,

659 रि

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/  
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषय- पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों के सरलीकरण के  
संबंध में ।  
महोदय,

पटना, दिनांक- 31 जुलाई, 2009

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरलीकरण/संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी । प्रचलित पेंशन प्रपत्रों यथा पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति-उपदान/पेंशन रूपांतरण के लिए आवेदन-पत्र (बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193, 194 एवं 199), पेंशन और परिवार पेंशन की गणना तालिका (संकल्प सं०-11556 दिनांक 22.12.1999), पेंशन मंजूरी हेतु प्रपत्र (जाप सं०-642 दिनांक- 14.01.1964) इत्यादि में संशोधन/सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त संशोधित/ सरलीकृत पेंशन प्रपत्रों की प्रति (पेंशन प्रपत्र, फोटोग्राफ प्रपत्र, घोषणा-पत्र, पेंशन/ परिवार पेंशन/ उपदान की गणना तालिका/पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान, पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति का फार्म तथा महालेखाकार का प्रमाण-पत्र एवं रिपोर्ट ) संलग्न करते हुए कहना है कि इसे 1 अगस्त 2009 से प्रभावी माना जायेगा । भविष्य में सभी सेवा निवृत्त कर्मियों को सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु उक्त सरलीकृत फार्म ही प्रयोग किया जाएगा ।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

अनु०:- यथोक्त ।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सरलीकृत पेंशन-प्रपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन  
(अरुनीश चावला)  
सचिव (व्यय) ।

दिनांक-

31/7/09  
(अरुनीश चावला)  
सचिव (व्यय) ।

## पेंशन प्रपत्र

पेंशन / परिवार पेंशन / उपादान / मृत्यु- सह-सेवानिवृत्ति उपादान / पेंशन रूपांतरण हेतु आवेदन पत्र

1. सरकारी सेवक का नाम :-
2. पिता / पति का नाम :-
3. स्थायी पता :-  
 ग्राम / मोहल्ला - डाकघर-  
 थाना - जिला - राज्य
4. पत्राचार का पता :-  
 ग्राम / मोहल्ला - डाकघर-  
 थाना - जिला - राज्य
5. अन्तिम पदस्थापन की स्थिति :-  
 पदनाम -  
 कार्यालय / विभाग का नाम -
6. सेवा आरम्भ की तिथि :-
7. सेवा समाप्ति की तिथि :-
8. कुल सेवा अवधि :- वर्ष माह दिन  
 व्यवधान की अवधि :-
9. अन्तिम वेतन :-
10. औसत वेतन :-
11. पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि :-
12. कोषागार का नाम  
 (जहाँ से भुगतान प्राप्त चाहते हैं)
13. परिवार पेंशन की दशा में आवेदक का नाम एवं पूरा पता :-
14. मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध :-
15. आवेदक का जन्म तिथि :-
16. उँचाई :-
17. पहचान चिन्ह :-
18. यदि पेंशन रूपांतरण कराना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत :-
19. परिवार के सदस्यों का विवरण :-

| क्रमांक | नाम | सरकारी सेवक से संबंध | आयु | वैवाहिक स्थिति |
|---------|-----|----------------------|-----|----------------|
| 1.      |     |                      |     |                |
| 2.      |     |                      |     |                |
| 3.      |     |                      |     |                |
| 4.      |     |                      |     |                |
| 5.      |     |                      |     |                |

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

# फोटोग्राफ

नोट :- (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संगुप्त फोटोग्राफ ।  
(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ ।

परिवार के सदस्यों का विवरण :-

| क्रमांक            | नाम | सरकारी सेवक से संबंध | जन्म-तिथि | वैवाहिक स्थिति |
|--------------------|-----|----------------------|-----------|----------------|
| 1.                 |     |                      |           |                |
| 2.                 |     |                      |           |                |
| 3.                 |     |                      |           |                |
| 4.                 |     |                      |           |                |
| 5.                 |     |                      |           |                |
| 6.                 |     |                      |           |                |
| आवेदक का हस्ताक्षर |     |                      |           |                |

सरकारी सेवक ( मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी ) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1.

2.

3.

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर)

## घोषणा-पत्र

चूँकि.....(अग्रिम की स्वीकृति देने वाले सरकारी सेवक का पदनाम) ने पेंशन की राशि सरकार द्वारा नियत करने हेतु आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में मुझे औपबंधिक रूप से प्रतिमाह.....रु० अंक में (.....) की राशि की स्वीकृति दी है। मैं एतद् द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम को स्वीकार करते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपबंधिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली औपबंधिक पेंशन उस राशि से अधिक है, जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस पेंशन का हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक राशि लौटा दूँगा।

2. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपनी सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में पेंशन और उपादान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिए न तो आवेदन दिया हूँ और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए, आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा।

3. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/  
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी  
का हस्ताक्षर एवं पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

पेंशन / परिवार पेंशन / उपादान की गणना -तालिका

1. सेवा निवृत्त / मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम :-
2. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि :-
3. सेवा निवृत्ति / मृत्यु की तिथि :-
4. सेवा की कुल अवधि :- वर्ष      माह      दिन
5. अन्तिम वेतन :-
6. औसत वेतन :-
7. अनुमान्य पेंशन :-

$$\left( \frac{\text{औसत परिलब्धि} \times \text{सेवा का वर्ष}}{2 \times 33} \right)$$

8. परिवार पेंशन :-

साधारण दर ( अंतिम वेतन का 30% )  
वर्द्धित दर

- I. अंतिम वेतन - 2
- II. परिवार पेंशन x 2
- III. पेंशन की राशि  
(तीनों में जो कम हो)

9. उपादान की राशि :-

$$\frac{(\text{अंतिम वेतन} + \text{मँहगाई वेतन} + \text{मँहगाई भत्ता}) \times \text{छहमाही सेवा की अवधि}}{4}$$

10. मृत्यु उपादान :-

- (क) एक वर्ष से कम की सेवा - परिलब्धि का दो गुणा
- (ख) एक वर्ष से अधिक तथा पाँच वर्ष से कम - परिलब्धि का छः गुणा
- (ग) पाँच वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम - परिलब्धि का बारह गुणा
- (घ) बीस वर्ष से अधिक -

$$\frac{(\text{अंतिम वेतन} + \text{मँहगाई वेतन} + \text{मँहगाई भत्ता}) \times \text{छहमाही सेवा की अवधि}}{2}$$

नोट:- उपादान / मृत्यु उपादान की अधिकतम राशि रुपये 3.50 लाख से अधिक नहीं होगी ।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
एवं मुहर

पेंशन / परिवार पेंशन / उपादान / मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान / पेंशन रूपांतरण  
दंगे स्वीकृति

यह समाधान हो जाने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पदनाम .....की सेवा संतोषजनक रही है, निम्नांकित व्यक्ति को निम्नरूपेण पेंशन/परिवार  
पेंशन / उपादान / मृत्यु- सह-सेवानिवृत्ति-उपादान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति दी जाती  
है :-

| व्यक्ति का नाम | पता | सरकारी सेवक से सम्बन्ध | राशि |
|----------------|-----|------------------------|------|
|                |     |                        |      |

1. पेंशन / परिवार पेंशन आरम्भ होने की तिथि :-
2. पेंशन की राशि :-
3. परिवार पेंशन की राशि :-
 

|                            |          |    |
|----------------------------|----------|----|
| (क) वर्द्धित दर:-    रूपये | दिनांक - | तक |
| (ख) साधारण दर:- रूपये      | दिनांक - | से |
4. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की राशि :-
5. पेंशन रूपांतरण की राशि :-  
 रूपये.....(शब्दों में)..... का रूपांतरित मूल्य रूपये  
 (शब्दों में ).....
6. पेंशन / उपादान / रूपांतरण की राशि का भुगतान .....  
 कोषागार से किया जायेगा ।
7. पेंशन / उपादान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष 2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।
8. यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि यदि पेंशन -उपादान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन पेंशन भोगी हकदार हो तो पेंशनधारी अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा । सम्यन्धित पेंशनभोगी से इस आशय की घोषणा-पत्र संलग्न है ।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि (नीचे दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन) श्री.....  
..... की अर्हक सेवा..... वर्ष..... महीना..... दिन सम्यक् रूप से  
प्रमाणित कोटि में है तथा बिहार पेंशन नियमावली ..... और बिहार सरकार के वित्त विभाग के  
ज्ञाप सं० 5285 वि० दिनांक 26.04.51 की कंडिका 2(ग) तथा बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं०  
वि०पी०पी०ए०आर०-12/50, 12548-वि०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के अधीन अधिक से अधिक.....  
.....रु० प्रतिमाह तथा..... (अंक में) .....  
.....रु० (एक मुश्त) पेंशन / सेवा-उपदान/परिवार पेंशन और  
मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-उपदान के रूप में अनुमान्य है । गणना का सत्यापन सम्यक् रूप में अनुमान्य  
है । गणना का सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है । पेंशन या उपादान .....  
पर आदेय है और पेंशन दिनांक ..... से आरंभ होगी ।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 और 202 (i) की ओर ध्यानाकृष्ट किया जाता है ।  
चूंकि आवेदन सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद किया गया है, इसलिए पेंशन आवेदन की तिथि से .....  
..... या सेवा निवृत्ति की तिथि ..... से आरंभ होगी, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी  
बिहार पेंशन नियमावली 209 के अधीन निर्देश दे ।

(यदि आवश्यक न हो, तो इस कंडिका को काट दें ।)

महालेखाकार, बिहार,  
पटना ।

जो पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 147 के द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त पेंशन के पात्र  
है, उनके मामले में प्रमाण-पत्र के सामान्य फारम में निम्नलिखित बातें जोड़ दें ।

“उन्होंने तीन वर्षों/..... वर्षों तक ..... के रूप में सेवा की है  
और वे 1000/-रु०-1500/-रु० ..... के विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र है ।  
उनकी सेवा ऐसी रही है कि उनके मामले में रियायत की जा सकती है ”

नोट:- यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन के लिए पर्याप्त हो तो प्रमाण-पत्र पर .....  
वर्षों से अधिक के लिए सम्यक् रूप से प्रमाणित लिख दें ( उतना ही वर्ष अंकित करें जितना  
अधिकतम पेंशन पाने के लिए अपेक्षित है । )